

प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 53/2020)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूप्रा ने 'व्यावसायिक वीसैट सीयूजी सेवा प्राधिकार के तहत वीसैट के माध्यम से सेटेलाइट के जरिये सेलुलर बैकहॉल कनेक्टिविटी के प्रावधान' पर सिफारिशें जारी की।

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2020- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूप्रा) ने आज 'व्यावसायिक वीसैट सीयूजी सेवा प्राधिकार के तहत वीसैट के माध्यम से सेटेलाइट के जरिये सेलुलर बैकहॉल कनेक्टिविटी के प्रावधान' पर सिफारिशें जारी की हैं।

2. सेटेलाइट बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करते हुए दूरसंचार और प्रसारण सेवाएं प्रदान करते हैं। अत्यंत छोटा एपर्चर टर्मिनल (वीसैट) सेटेलाइट संचार प्रौद्योगिकियों में से एक है, जो दूरदराज और दुर्गम स्थानों जैसे ग्रामीण क्षेत्रों, जहाजों, तटीय क्षेत्रों, पहाड़ियों आदि के लिए बहुत उपयोगी है, जहां सीमित या कोई स्थलीय कनेक्टिविटी नहीं है। वीसैट तकनीक का मुख्य लाभ यह है कि इसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दूरस्थ स्थानों में न्यूनतम प्रशिक्षण, संचालन की कम लागत और संचार की विश्वसनीयता के साथ बहुत कम समय में स्थापित किया जा सकता है।

3. भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी), 2018 में विभिन्न कदमों की परिकल्पना की गई है जैसे लाइसेंसिंग और विनियामक शर्तों को संशोधित करना, अनुपालन अपेक्षाओं को सरल बनाना और उचित लाइसेंसिंग प्रणाली के माध्यम से उच्च थ्रुपुट सेटेलाइट सिस्टम के प्रभावी उपयोग के लिए अनुमत सेवाओं के दायरे का विस्तार करना।

4. दूरसंचार विभाग (DoT) ने दिनांक 13 अगस्त 2019 के अपने पत्र के माध्यम से भादूप्रा से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (क), भादूप्रा अधिनियम 2000 द्वारा यथा संशोधित के तहत वीसैट के माध्यम से सेटेलाइट के जरिये एकीकृत लाइसेंस और एकीकृत लाइसेंस VNO समझौते के नियम एवं शर्तों पर सिफारिशों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था।

5. दूरसंचार विभाग से प्राप्त संदर्भ के आधार पर, प्राधिकरण ने 29 जनवरी 2020 को आज 'व्यावसायिक वीसैट सीयूजी सेवा प्राधिकार के तहत वीसैट के माध्यम से सेटलाइट के जरिये सेलुलर बैकहॉल कनेक्टिविटी के प्रावधान' पर परामर्श पत्र (CP) जारी किया था, जिसमें हितधारकों की टिप्पणियां मांगी गई थी। परामर्श पत्र में, दूरसंचार विभाग द्वारा संदर्भित मुद्दों के अलावा, अन्य मुद्दे जैसे कि लाइसेंस के तहत अधिकृत अन्य सेवाओं के प्रावधान के लिए आधारभूत संरचना का साझाकरण, फार्मूला-आधारित स्पेक्ट्रम चार्जिंग से (सेटलाइट-आधारित सेवाओं के लिए) एजीआर-आधारित एसयूसी में माइग्रेशन और लेखांकन पृथक्करण के संबद्ध मामलों को हितधारकों की टिप्पणी के लिए उठाया गया था।

6. परामर्श पत्र पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां क्रमशः 11 मार्च, 2020 और 25 मार्च, 2020 तक आमंत्रित की गई थीं। प्राधिकरण को 15 हितधारकों से टिप्पणियां मिलीं, जबकि कोई प्रति-टिप्पणी नहीं मिली। ये टिप्पणियां भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं। 20 मई 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) आयोजित की गई थी।

7. इन सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं हैं: -

- (क) वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा प्रदाता को वीसैट के जरिये सेलुलर मोबाइल सेवाओं के लिए एक्सेस सेवा प्रदाताओं को बैकहॉल कनेक्टिविटी प्रदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्हें वाई-फाई हॉटस्पॉट की स्थापना के लिए वीसैट से एक्सेस सेवा प्रदाताओं को बैकहॉल कनेक्टिविटी प्रदान करने की अनुमति दी जा सकती है।
- (ख) वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा प्रदाताओं, द्वारा बैकहॉल कनेक्टिविटी के प्रावधान के लिए स्टैंड-अलोन वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी सेवा लाइसेंस, एकीकृत लाइसेंस और एकीकृत लाइसेंस (वीएनओ) में इनेब्लिंग प्रावधान किए जाने चाहिए।
- (ग) अधिकृत सेवाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से वीसैट केन्द्र को साझा करने के लिए वाणिज्यिक वीसैट सीयूजी और एनएलडी सेवाओं दोनों के लिए लाइसेंस/ प्राधिकार रखने वाली इकाई को अनुमति दी जानी चाहिए।
- (घ) किसी भी सेवा प्राधिकार के तहत एक लाइसेंसधारी के स्वामित्व वाले सक्रिय और निष्क्रिय बुनियादी ढांचे को साझा करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो अन्य प्राधिकार या स्टैंड-अलोन लाइसेंसों के तहत लाइसेंसधारी को अधिकृत अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए हो।

(ड.) एनएलडी लाइसेंस/प्राधिकार में वीसैट सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम चार्जिंग को एजीआर के प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए। मौजूदा फार्मूला-आधारित तंत्र की जगह, एनएलडी सेवा लाइसेंस/प्राधिकार के तहत सेटलाइट आवृत्तियों के उपयोग के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क को एजीआर के 1% के रूप में निर्धारित किया जाना चाहिए, जिसमें सेटलाइट-आधारित सेवाओं के अलावा लाइसेंस प्राप्त सेवाओं से राजस्व शामिल नहीं है।

(च) कैरियर की गति पर कोई बाधा नहीं होनी चाहिए और इसलिए, उच्च डेटा दर, जो अब नवीनतम तकनीकों के उपयोग के साथ सेटलाइट संचार में संभव है, को बिना किसी प्रतिबंध के अनुमति दी जानी चाहिए।

8. 'व्यावसायिक वीसैट सीयूजी सेवा प्राधिकार के तहत वीसैट के माध्यम से सेटलाइट के जरिये सेलुलर बैकहॉल कनेक्टिविटी के प्रावधान' पर सिफारिशें भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर रखी गई हैं।

9. स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, यदि कोई हो, श्री एस. टी. अब्बास, सलाहकार (नेटवर्क स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर: +91-11-23210481 या ईमेल: advmn@ni.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।